न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली संख्या : 41/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर

आवेदक

बनाम

श्री विपिन मित्तल पुत्र श्री मुरारीलाल मित्तल जाति वैश्य उम्र 36 वर्ष मालिक एवं विक्रेता विपिन चुस्की वाले रूदावल जिला भरतपुर निवासी बस स्टैण्ड रूदावल जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 11.09.2019

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दि. 30.07.2018 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 24.07.2019 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक

11.09.2019 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 25.04.2018 को दोपहर 2.00 बजे पर गैरसायल की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान पर 125 नग गोल्डन पैप्सी ब्रान्ड चुस्की का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 48 नग चुस्की/आईसकैण्डी 50/–रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–351/एक्ट/2018/370 दिनांक 04.05.2018 द्वारा उक्त गोल्डन पैप्सी ब्रान्ड चुस्की नमूना अवमानक एवं मिथ्याछाप स्तर (Sub Standard & Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक/मिथ्याछाप स्तर की गोल्डन पैप्सी ब्रान्ड चुस्की आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26(2) का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। प्रार्थी के द्वारा गोल्डन पेप्सी ब्रान्ड चुस्की में कोई मिलावट नहीं की गई है। प्रार्थी ने गोल्डन पैप्सी ब्रान्ड चुस्की अन्य दुकान से क्रय की है। गैरसायल ने स्वयं को परचूनिया की चलाकर छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैर सायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 25.04.2018 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित गोल्डन पैप्सी ब्रान्ड चुस्की का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 04.05.2018 में अवमानक/मिथ्याछाप स्तर (Sub Standard & Misbranded) का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा स्वयं के स्तर पर गोल्डन पैप्सी ब्रान्ड चुस्की में कोई मिलावट नहीं करना तथा अन्य दुकान से क्रय करना जाहिर किया है। उनके द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का क्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। चूंकि गैरसायल के व्यापार परिसर पर 125 नग गोल्डन पैप्सी ब्रान्ड चुस्की ही वक्त जांच निरीक्षण संग्रहित पाये गये है, जो गैरसायल द्वारा अन्य दुकानों से भी क्रय किया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 2500/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल के द्वारा जुर्माना राशि जमा कोष की गई। कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 11.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर